DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

विभाग द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं/साझेदारों को प्रत्यक्ष दी जाने वाली जाने वाली निम्नलिखित प्रमुख सेवायें घोषणा पत्र में शामिल की गई :–

उद्देश्य

1. राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना, सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के infrastructure का सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।
3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी., इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रयोजन काउन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।
4. प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं कैडर व्यवस्था नियंत्रित करना।
5. उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
6. कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए Refresher-Course/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना।

नीतियां

1. विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।
2. सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।
3. बैण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्ता युक्त तथा डेटा विश्लेषण करना।
4. दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।
5. राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिये नीति बनाना।
6. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में investment के लिये प्रोत्साहनकारी नीति तैयार करना।
7. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट प्रसार एवं सुरक्षा नीति बनाना।
8. नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना।
9. राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।
10. कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।
11. ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करे।

DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

ई–गवर्नेन्स का सूत्रपात

1. राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।
2. सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।
3. राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।
4. आँकड़ा संकलन और प्रसार के लिए सॉफ्टवेयर डवलपमेन्ट करना ।
5. सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स का प्रोत्साहन देना।
7. व्यवहार्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
6. व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुकूल सॉफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।
7. विभिन्न विभागों में ऑफिस ऑटोमेशन का क्रियान्वयन।
8. सरकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन।
9. सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

नागरिकों की अपेक्षायें

1. नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा एवं आसान तरीके से उपलब्ध कराना।
2. सरकारी विभागों में बिना चक्कर लगायें, सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु, स्वयं के स्तर से पात्रता का निर्धारण, स्वयं अथवा घर के पास ही ई–मित्र के माध्यम सें विभिन्न सेवाएं प्राप्त करना।
3. लाभकारी योजना में आवेदन पश्चात कार्य की प्रगति की जानकारी मोबाईल पर प्राप्त करना ।
4. विधार्थीयों/विशेषज्ञों/हितकारकों को आईटी की नवीनतम तकनीकों प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ।
5. सुशासन हेतु ई–गर्वेनेनस का लाभ प्राप्त कराना ।
6. सरकारी योजनाओं/बजट निर्माण/नितिगत निर्णयों में सुझावों का समावेश उपलब्ध कराना ।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विभाग द्वारा अनुपालना सुनिश्चित की गई हैं। इसमें प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की सुसंगत व्यवस्था की गई हैं । जिसमें सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अधिकारियों को निम्नानुसार नियुक्त किया हैं–

राज्य स्तर	
लोक सूचना अधिकारी (Nodal Officer)	श्री नितिन वर्मा, अतिरिक्त निदेशक
लोक सूचना अधिकारी	श्रीमति ज्योति लुहाडिया, तकनीकी निदेशक
लोक सूचना अधिकारी	श्री संजय जे कार्णिक, अतिरिक्त निदेशक
लोक सूचना अधिकारी	सुश्री सोनिया चतुर्वेदी, अतिरिक्त निदेशक
लोक सूचना अधिकारी	श्री सुदर्शन सिंह देवड़ा, एस.ए. (संयुक्त निदेशक)

लोक सूचना अधिकारी	श्री प्रवीण गंगवाल, एसीपी (उप निदेशक)
लोक सूचना अधिकारी	श्री सुर्यकांत गुप्ता, एसीपी (उप निदेशक)
लोक सूचना अधिकारी	श्री राकेश वर्मा, एसीपी (उप निदेशक)
जिला स्तर– लोक सूचना अधिकारी	वरिष्ठ जिला अधिकारी (अरिक्त निदेशक / एसए(संयुक्त निदेशक) / एसीपी (उपनिदेशक))

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों के निर्धारण हेतु अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया हैं ।

अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ	– 10 रुपये का पोस्टल ऑडर
अभिलेखों व निरीक्षण के लिए	– प्रथम घंटा कोई फीस नहीं, प्रत्येंक 15 मिनिट या अधिक के लिये 5 रुपयें
प्रतिलिपि ए–4 या ए–3 आकार में	– 2 रुपयें प्रति पृष्ठ
प्रतिलिति बडें आकार में	– वास्तविक लागत
डिस्क या फ्लोपी में	– 50 रुपयें प्रति डिस्क
मुद्रित सूचना के लिए	– नियत मूल्य / प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिए 2 रुपयें

जन अभाव अभियोग

1. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों / परिवेदनाओं को दर्ज करने एवं उनकी समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता हैं। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों / परिवेदनाओं के समाधान / निस्तारण का माध्यम प्रदान करता हैं।
2. कोई भी नागरिक अपनी शिकायत / परिवेदना को टोल–फ्री नम्बर 181 citizen Call Center पर कॉल करके अथवा web portal samark.rajasthan.gov.in पर entry करके शिकायत / परिवेदना दर्ज करवा सकता हैं । यह केन्द्र प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता हैं।

शिकायतों के निस्तारण की विभागीय प्रक्रिया

नागरिकों से प्राप्त शिकायत / परिवेदना प्रथम स्तर (L1) पर विभाग के ब्लॉक कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाती हैं । शिकायतों की प्रकृति के अनुरुप निस्तारण की अवधि 5 से 30 दिन की होती हैं। इस अवधि में निस्तारण नहीं होने पर शिकायत / परिवेदना स्वतः ही द्वितीय स्तर (L2) पर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को स्थानान्तनित हो जाती हैं । जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भी निश्चित अवधि में निस्तारण नहीं हो पर शिकायत / परिवेदना स्वतः ही तृतीय स्तर (L3) पर विभाग के संबंधित परियोजना अधिकारी को स्थानान्तनित हो जाती हैं । विभाग को प्राप्त शिकायत / परिवेदनाओ की विभागीय स्तर पर बैठक / वी.सी. के माध्यम से समीक्षा की जाती हैं । विभाग से संबंधित नहीं होने की दशा में संबंधित अधिकारी द्वारा परिवेदना को संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाता है।

DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

जन सूचना पोर्टल

जनसूचना पोर्टल का उद्देश्य आम–जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार व निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा व आसान तरीके से उपलब्ध करवाया जाना हैं। जन–सूचना पोर्टल jansoochna.rajasthan.gov.in के माध्यम से आम–जन को कम से कम विकल्पों का चयन करने पर ही सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पोर्टल पर वर्तमान में 117 विभाग की 340 योजनाओं की 725 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं ।

विभागीय संरचना

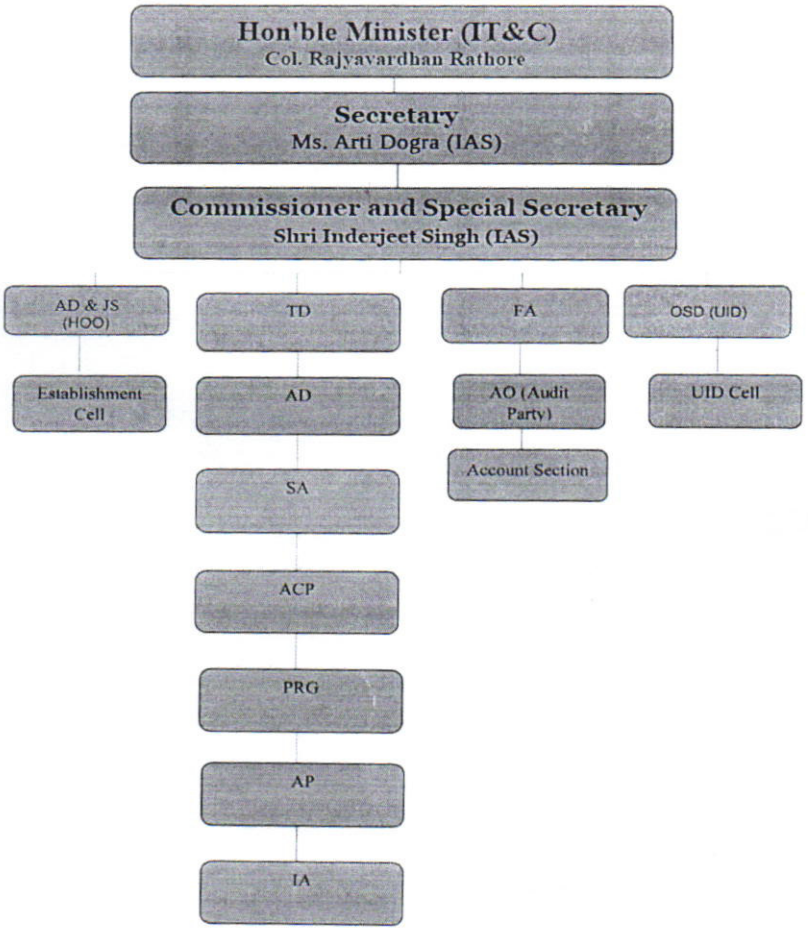

Legends	
AD & JS (HOO)	Additional Director & Joint Secretary (Head of Office)
FA	Financial Advisor
OSD UID	OSD UID
TD	Technical Director
AD	Additional Director
SA (JD)	System Analyst (Joint Director)
ACP (DD)	Analyst-cum-Programmer (Deputy Director)
PRG	Programmer
AP	Assistant Programmer
IA	Informatics Assistant